बिहार सरकार

वित्त विभाग

।। अधिसूचना ।।

संख्या ........ पटना, दिनांक—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना— (1) यह नियमावली "बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन—2) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से लागू होगी तथा उन सभी मामलों में लागू होगी जिनमें भविष्य निधि राशि का अंतिम भुगतान 31 मार्च, 2017 तक नहीं किए गए हों।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के **नियम** 9 के उप नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप नियम (2) जोड़ा जाएगा:—

"(2) भविष्य निधि लेखाओं के संधारण हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार ब्याज परिकलन, वार्षिक लेखा पर्ची एवं अंतिम निकासी प्राधिकार पत्र के निर्गमन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकेगा।"

3. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के **नियम** 14 के उप—नियम 4 की प्रथम एवं द्वितीय टिप्पणियाँ क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएँगी:—

"टिप्पणी— (क) भविष्य निधि में संचित राशि के लिए, अंशदाता अथवा नियमानुसार जिस व्यक्ति का भुगतान अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पद—रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिये भुगतान करने हेतु विधिमान्य रूप से बकाया हो, भुगतान के निमित्त प्राधिकार—पत्र प्राधिकृत करने के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे:—

(i) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संधारित किया जाता हो—

निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग।

(ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के नियन्त्रणाधीन जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो—

सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त।

(iii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय अथवा इसके जिला कार्यालयों द्वारा संधारित नहीं किया जाता हो— वित्त विभाग।

(ख) अंशदाता के वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के मामले में, स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को पूर्णतया सन्तुष्ट हो लेना होगा कि विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसका सम्यक् रूप से जांच—पड़ताल कर ली गयी है तथा, जहां आवश्यक था, उचित कार्रवाई भी की

1236 (32) (61) (2-87)

अंशदाता के पदविमुक्ति/मृत्यु के मामलों में, स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी पूर्णतया सन्तुष्ट हो कि विभाग द्वारा आवेदन-पत्र भेजने में अथवा भविष्य निधि कार्यालय में प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसकी सम्यक् रूप से जाँच-पड़ताल कर ली गयी है तथा, जहाँ आवश्यक था, उचित कार्रवाई भी की गयी है।

यदि भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा निर्गत प्राधिकार-पत्र के अनुसार प्राधिकृत राशि के भुगतान में, विलम्ब होता है एवं देय अतिरिक्त ब्याज प्रोदभूत होती है, तो इस संबंध में कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को ऐसे विलम्ब की जाँच एवं उचित कार्रवाई कर, संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रोदभूत देय अतिरिक्त ब्याज को प्राधिकृत करने के लिये, इस टिप्पणी में वर्णित प्राधिकार सक्षम होंगे।"

4. बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

" 15. भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम।– (1) "अप्रत्यर्पणीय अग्रिम" से अभिप्रेत है इस नियम में उल्लिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनो के लिए अभिदाता को स्वीकृत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम राशि।

(2) अंशदाता द्वारा, आवेदन करने पर एवं एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के पश्चात् उनके निधि में संचित राशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये अप्रर्त्पणीय अग्रिम स्वीकृत की जा सकेगी:–

(क) निम्नलिखित मामलों में अंशदाता अथवा अंशदाता पर वस्तुतः आश्रित किसी संतान का यात्रा–व्यय भी यदि आवश्यक हो सहित, उच्च शिक्षा पर खर्च को पूरा करने के लिए:–

(i) भारत के बाहर उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर अकादमी, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक शिक्षा के लिए; और

(ii) भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर दी जानेवाली चिकित्सा, इंजीनियरींग या अन्य तकनीकी शिक्षा या विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए;

(ख) अंशदाता अथवा उसके पुत्र या पुत्री के विवाह या यदि उसे पुत्री न हो तो उसपर आश्रित किसी अन्य महिला–रिश्तेदार के विवाह के संबंध में खर्च को पूरा करने के लिए;

(ग) अंशदाता और अपने परिवार के सदस्यों या उसपर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में, जहाँ आवश्यक हो, यात्रा–व्यय सहित, खर्च को पूरा करने के लिए;

(घ) अभिदाता द्वारा अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह निर्माण या तैयार फ्लैट को अर्जित करने के लिए, जिसमें स्थल की कीमत अथवा राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण समिति द्वारा प्लॉट या फ्लैट के आवंटन के लिए कोई भुगतान शामिल होगा;

(ड0) गृह–स्थल खरीदने के लिये या अपने आवास के लिए कोई उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट अर्जित करने के लिए स्पष्टतः लिए गए किसी ऋण के, जो आवेदन प्राप्ति की तिथि से बारह महीने पहले नहीं लिया गया हो, किसी बकाया राशि को लौटाने के लिए;

(च) उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह–निर्माण के लिये;

(छ) श्राद्ध या ऐसे अनुष्ठान, जिसे करने के लिये अंशदाता धर्मानुसार बाध्य हो;

(ज) अंशदाता के निमित्त कार्यवाहियों के खर्च को पूरा करने के लिए उपगत व्यय के लिए;

(झ) अंशदाता द्वारा आवासीय भवन/पैतृक गृह की मरम्मती, अनुरक्षण, पुनरूद्धार, पुनर्निर्माण, अनुवृद्धि अथवा बदलाव के खर्च को पूरा करने के लिए;

(ञ) अंशदाता के वार्द्धक्य सेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर परन्तु तीन माह के पहले तक अप्रत्यर्पणीय अग्रिम, किसी प्रयोजन का उल्लेख किए बिना स्वीकृत किया जा सकेगा।

(3) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकार, किसी भी समय उप नियम (2) में उल्लिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे:—

(क) नया अप्रत्यर्पणीय अग्रिम पूर्व के अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति के एक वर्ष बाद स्वीकृत किया जाएगा, परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में विभागीय सचिव/प्रधान सचिव इस प्रावधान को शिथिल कर सकेंगे;

(ख) अंशदाता की निधि में संचित राशि के तीन–चौथाई राशि से अधिक अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की राशि के रूप में स्वीकृत नहीं की जाएगी;

(ग) अंशदाता की वार्द्धक्य सेवानिवृति के पूर्व तीन माह के भीतर कोई अप्रत्यर्पणीय अग्रिम स्वीकृत नहीं की जाएगी।"

5. बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 16 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"16. पूर्व में स्वीकृत अस्थायी अग्रिम के सभी मामलों में कटौतियाँ, अग्रिम स्वीकृति की शर्तों के अधीन पूर्ण राशि की वसूली तक, जारी रहेगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:— पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:— 1127 पटना, दिनांक:— 15.3.2017

प्रतिलिपि:— सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप सचिव (क्षेत्रीय स्थापना प्रभाग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

**बिहार सरकार**

**<u>विधि विभाग</u>**

**ज्ञाप संख्या:-बी0/स्था0(विविध)-20-08/2014**2710**/जे0, पटना, दिनांक:-**18-5-17

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना/निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, गुलजारबाग, पटना /सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्धमार्ग, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना/अपर सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, सम्पर्क कार्यालय (विधि विभाग), बिहार भवन, नई दिल्ली/महाप्रशासक एवं राजकीय प्रन्यासी, पटना समाहरणालय परिसर, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, विद्यापति मार्ग, पटना तथा सर्वश्री रामनाथ प्रसाद एवं प्रेमजीत सिंह, सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/5/17

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**

सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

15/5/17